Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Supply Appeal Case No.- 150/2025]

Sarswati Kumari..Appellant

Versus

The State of Bihar & Others..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05.2.2026	**आदेश** यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-21414/2018 में दिनांक-12.8.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, सुपौल के कार्यवाही आदेश ज्ञापांक-779-2 दिनांक-20.8.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-19.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी सं.-8 एवं राज्य की ओर से जवाब दाखिल है। सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि जिला आपूर्ति शाखा, समाहरणालय, सुपौल द्वारा जन वितरण प्रणाली (नई अनुज्ञप्ति हेतु) विज्ञापन संख्या-01/2017 निर्गत किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में आवेदिका सरस्वती देवी द्वारा स्वयं सहायता समूह को मिलने वाली प्राथमिकता का लाभ लेने हेतु अपना आवेदन पत्र अनुसूची-2 के साथ संलग्न कर अनुमंडल कार्यालय में समर्पित किया गया। समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा तैयार किये गये औपबंधिक सूची में सरस्वती देवी, गीता जीविका का नाम प्रथम स्थान पर रखा गया। तदोपरान्त आवेदिका के पक्ष में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश दिया गया। जिला चयन समिति के उक्त आदेश पर रोक लगाते हुए दिनांक-05.8.2018 को अपर समाहर्त्ता, सुपौल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक आयोजित की गयी। आवेदिका सरस्वती देवी के चयन को उक्त स्क्रिनिंग कमिटि के द्वारा रद्द करने के अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी, सुपौल के कार्यवाही ज्ञापांक-779-2 दिनांक-20.8.2018 द्वारा आवेदिका के चयन को रद्द कर दिया गया। अभ्युक्ति में यह अंकित किया गया कि "आवेदिका के आवेदन के आलोक में चयनित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन के क्रम में पाया गया कि सरस्वती देवी जीविका के सदस्य है। विभागीय निदेशानुसार स्वयं सहायता समूह के सचिव/अध्यक्ष जो मैट्रिक पास होंगे। वहीं अनुज्ञप्ति हेतु आवेदनकर्त्ता होंगे। आवेदिका चूँकि जीविका की सदस्य हैं अतः विभागीय निदेशानुसार सरस्वती देवी के चयन को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से मधुमाला कुमारी के नाम अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु अनुशंसा किया गया।" उनका कहना है कि गीता जीविका समूह की दिनांक-15.10.2017 की बैठक में Petitioner सरस्वती देवी को सर्वसम्मती से समूह का सचिव बना दिया गया था। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/ LCR में रक्षित कागजातों के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Bihar Targeted P.D.S(Control) Order,2016 के नियम-8 के अनुसार उचित मुल्य की दुकान के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को प्राथिमकता दी जायगी। साथ ही समाहरणालय सुपौल के विज्ञापन में भी समान बिन्दु अंकित है। उपरोक्त के आलोक में Petitioner सरस्वती देवी द्वारा गीता जीविका समूह के अनुशंसा के आलोक में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा Petitioner सरस्वती देवी का चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि आवेदिका स्वयं सहायता समूह के सचिव/अध्यक्ष नहीं है। किंतु कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गीता जीविका समूह के दिनांक-15.10.2017 की बैठक की कार्यवाही में आवेदिका सरस्वती देवी को समूह का सचिव नियुक्त किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-2928 दिनांक-20.6.2018 के कंडिका-2 "स्वयं सहायता समूह के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव जो मैट्रिक पास होंगे वही अनुज्ञप्ति हेतु आवेदनकर्त्ता होंगे" को आधार बनाकर आवेदिका के वर्ष 2017 के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन कर आवेदिका को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करना विधिमान्य विनिश्चित नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश ज्ञापांक-779-2 दिनांक-20.8.2018 विधिसम्मत नहीं है। चूँकि	

05.2.2026

समाहरणालय, सुपौल के विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 16.10.2017 से 04.11.2017 तक निर्धारित थी। अभिलेख में रक्षित कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि गीता जीविका समूह के स्तर से दिनांक-15.10.2017 के बैठक की कार्यवाही में आवेदिका सरस्वती देवी को उक्त जीविका समूह का सचिव बनाया गया था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका का दावा विधिसम्मत है।

अतः तदनुसार जिलाधिकारी, सुपौल के कार्यवाही आदेश ज्ञापांक-779-2 दिनांक-20.8.2018 से निर्गत वीणा पंचायत हेतु P.D.S अनुज्ञप्ति के चयन को निरस्त किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सुपौल को अपीलार्थी सरस्वती देवी, सचिव, गीता जीविका समूह के पक्ष में तत्काल अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Raje K.
05/2/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
Raje K.
05/2/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोशी प्रमण्डल, सहरसा